संख्या बी–3–1876/दस–2006-125-75 मो०वा०

प्रेषक,

डा० बी० एम० जोशी,

सचिव, वित्त (बजट)

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश

एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 23 अगस्त, 2006

**विषय** :–राज्य कर्मचारियों को मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम।

महोदय,

वित्त
(आय–व्ययक)
अनुभाग–3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राज्य कर्मचारियों के लिए मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम की वर्तमान सुविधाओं में निम्न परिवर्तन हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) **पात्रता** :–

रुपये 4600 प्रतिमाह मूलवेतन अथवा उससे अधिक प्राप्त करने वाले कर्मचारी/अधिकारी मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम स्वीकृत किये जाने हेतु पात्र होगें।

(ii) **अनुमन्य अग्रिम** :–

प्रथम बार 06 माह का मूलवेतन या रुपये 30,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो, तथा द्वितीय बार या उसके बाद के अवसरों पर 05 माह का मूलवेतन या रुपये 24,000 या वाहन का मूल्य, जो भी सबसे कम हो।

**टिप्पणी** :–मूलवेतन का आशय दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में मूलवेतन से है।

2–राज्य कर्मचारियों को दूसरी बार अथवा बाद के अवसरों के लिए मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम तभी स्वीकृत किया जाय जबकि पिछले मोटर वाहन अग्रिम लेने की तिथि से कम से कम चार वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो।

3–राज्य कर्मचारियों से मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम की वसूली वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर–246(4) के अनुसार अधिकतम 70 मासिक किश्तों में की जायेगी।

4–जिन मामलों में पूर्व में मोटर साईकिल/स्कूटर/मोपेड अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और स्वीकृत अग्रिम की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन्हें इस शासनादेश के अन्तर्गत संशोधन/पुनरीक्षण हेतु री–ओपेन नहीं किया जायेगा।

5–यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

6–वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 में तदनुसार यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

बी०एम० जोशी,

सचिव, वित्त (बजट)।

**संख्या बी–3–1876(1)/दस–2006 तद्दिनॉक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–महालेखाकार, (आडिट) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4–विधान परिषद् तथा विधान सभा सचिवालय।

5–राज्यपाल सचिवालय।

6–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

7–वित्त (लेखा) अनुभाग–1 को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में आवश्यक संशोधन हेतु।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार,

उप सचिव।